रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 8

भेषज विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		125.25	35.01	160.26	80.60	33.33	113.93	125.00	32.95	157.95
पूंजी		*30.00*	*0.07*	*30.07*	*24.40*	*0.07*	*24.47*	*40.00*	*0.05*	*40.05*
जोड़		**155.25**	**35.08**	**190.33**	**105.00**	**33.40**	**138.40**	**165.00**	**33.00**	**198.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	0.50	7.75	8.25	0.30	6.56	6.86	0.25	7.34	7.59
उद्योग										
भेषज उद्योग										
2. राष्ट्रीय भेषज शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	2852	57.47	20.00	77.47	47.15	20.00	67.15	61.00	19.04	80.04
3. राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)	2852	2.25	6.26	8.51	0.85	5.77	6.62	0.99	6.07	7.06
4. भेषज निर्यात संवर्धन योजना (पीईपीएस)	2852	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	0.50	0.50
5. भेषज संवर्धन और विकास योजना (पीपीडीएस)	2852	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	1.25	...	1.25
6. अन्य (नई योजनाएं)	2852	47.50	...	47.50	19.80	...	19.80	45.01	...	45.01
जोड़ - उद्योग		**109.22**	**27.26**	**136.48**	**69.80**	**26.77**	**96.57**	**108.25**	**25.61**	**133.86**
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजना/योजना के लिये एकमुश्त प्रावधान	2552	15.53	...	15.53	10.50	...	10.50	16.50	...	16.50
8. *लोक उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण*										
8.01 स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.	6857	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
8.02 बंगाल कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)	6857	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
8.03 बंगाल इम्युनिटी लि. (बीआईएल)	6857	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
8.04 इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)	6857	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.01	0.01
8.05 हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लि. (एच.ए.एल.)	6857	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.01	0.01
	जोड़	*...*	*0.07*	*0.07*	*...*	*0.07*	*0.07*	*...*	*0.05*	*0.05*
9. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	6857	30.00	...	30.00	24.40	...	24.40	40.00	...	40.00
कुल जोड़		***155.25***	***35.08***	***190.33***	***105.00***	***33.40***	***138.40***	***165.00***	***33.00***	***198.00***
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
भेषज उद्योग										
9.01 हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि.	12857	20.00	...	20.00	9.50	...	9.50	15.00	...	15.00
9.02 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	12857	10.00	...	10.00	14.90	...	14.90	25.00	...	25.00
जोड़- भेषज उद्योग		**30.00**	**...**	**30.00**	**24.40**	**...**	**24.40**	**40.00**	**...**	**40.00**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. रसायन और भेषज उद्योग	12857	139.22	...	139.22	94.20	...	94.20	148.25	...	148.25
2. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	13451	0.50	...	0.50	0.30	...	0.30	0.25	...	0.25
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	15.53	...	15.53	10.50	...	10.50	16.50	...	16.50
जोड़		**155.25**	**...**	**155.25**	**105.00**	**...**	**105.00**	**165.00**	**...**	**165.00**

1. **सचिवालयः** इसमें विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. **राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर):** यह परियोजना चंडीगढ़ के समीप एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में स्थापित की गई है। इस संस्थान का प्रयास भारत में भेषजीय शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता को बढ़ावा देना और भारत में भेषजीय क्षेत्र की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस प्रावधान में भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में दैनिक व्यय हेतु आयोजना-भिन्न सहायता तथा उसकी चल रही योजनाओं और नई योजनाओं के लिए आयोजना सहायता शामिल है। तथा 6 नई एनआईपीईआर की स्थापनाः अहमदाबाद, हैदराबाद, हाजीपुर, कोलकाता, गौवाहाटी, और रायबरेली।

3. **राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए):** वर्ष 1994 में घोषित नई औषध नीति के एक भाग के रूप में, विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय

गठित किया गया है, जो औषधियों और फार्मूलेशन के मूल्य निर्धारण/संशोधन और अन्य संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। यह विनियंत्रित औषधियों और फार्मूलेशन की कीमतों का अनुवीक्षण और औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के उपबंधों के कार्यान्वयन का निरीक्षण भी करता है। बजट प्रावधान में प्राधिकरण के स्थापना खर्चों के लिए आयोजना-भिन्न सहायता तथा औषधि के मूल्यों के अनुवीक्षण की मजबूती के संबंध में आयोजना सहायता शामिल है।

5. **भेषज संवर्धन एवं विकास योजना (पीपीडीएस)**: इसमें बजट प्रावधान विभिन्न संगोष्ठियों कार्यशालाओं आदि के आयोजन द्वारा प्रोत्साहन देने के सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में है।

6. **अन्यः** भेषजों के क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन तथा अनुसंधान एवं विकास से सम्बन्धित विभिन्न नई योजनाएं शुरू की जानी प्रस्तावित है।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधानः** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रावधान है।

8. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋणः** ये सरकारी उद्यमों को दिए गए ऋण के द्योतक हैं।

8.02 **बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)**: इस कंपनी की चार विनिर्माण इकाइयां हैं जो कोलकाता में मानिकतला, 24 परगना (उत्तर) पं.बंगाल, मुंबई तथा कानपुर (उ.प्र.) में स्थित है। यह कंपनी सौंदर्य प्रसाधन तथा घरेलू उत्पादों के अलावा कई श्रेणियों के औद्योगिक रसायनों, सल्फ्यूरिक एसिड, फैरिक एलम, कई दवाओं तथा फार्मास्यूटिकल्स का विनिर्माण तथा विपणन करती है। इस प्रावधान में पुनर्वास तथा विभिन्न चालू योजनाओं हेतु व्यवस्था शामिल है।

8.05 **हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेडः** इस कम्पनी का निगमन देश में जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण तथा ऐसी दवाओं के आयात पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1954 में किया गया था। इसकी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा मणिपुर में तीन परियोजनाएं हैं। इस प्रावधान में संयंत्र तथा मशीनरी की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन पर व्यय को शामिल किया गया है। यह प्रावधान आई.वी.एफ सुविधाओं, के उन्नयन, बहुतायत में पेनीसीलीन के लिए बहु-उत्पाद निर्जमन सुविधाओं, पायलट प्लांट सुविधा के उन्नयन, ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत (सौर -ऊर्जा) आदि को बढ़ावा देने से सम्बन्धित गतिविधियों हेतु है।

9. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेशः** इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उनकी नई और पहले से चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए इक्विटी और ऋणों के लिए व्यवस्था की गई है।